न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/1364/2003/जयपुर

फकीर खां पुत्र बोदू खां मृतक जरिये वारिसान–

1/1. सरदार खां पुत्र फकीर खां 1/2. सत्तार खां पुत्र फकीर खां

1/3.समीर पुत्र फकीर खां 1/4.जूमली बेबा फकीर खां

1/5.गफूरन पुत्री फकीर खां 1/6.शकूरन पुत्री फकीर खां

1/7.नफीसा पुत्री फकीर खां 1/8.मरियम पुत्री फकीर खां

2.पीरू खां पुत्र बोदू खां 3.उस्मान खां पुत्र बोदू खां

समस्त जाति मुसलमान निवासी मौजमाबाद तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर

अपीलार्थी

बनाम

1.ठाकुर जी चतुरभुज जी विराजमान मन्दिर मौजमाबाद बजरिये रफीक सेवायत एवं पुजारी श्रवण लाल पुत्र कल्याण मल जाति ब्राहमण निवासी मौजमाबाद तहसील मौजमाबद जिला जयपुर

2. राधेश्याम पुत्र श्रवण 3. परसराम पुत्र श्रवण

4.सरजू पुत्र श्रवण (नाम हजफ) 5.कंचन पुत्र श्रवण (नाम हजफ)

6. मनभर पुत्र श्रवण (नाम हजफ) 7. नौसर पुत्र श्रवण (नाम हजफ)

समस्त जाति ब्राहमण निवासी मौजमाबाद तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर

8.उमर दराज पुत्र चांद खां

9. हफीजन पुत्री चांद खां

10. माफिया पुत्री चांद खां

11. अज्जी पुत्री चांदखां

12. रबिया पुत्री चांद खां

13.सायर खां पुत्र करीम खां

समस्त जाति मुसलमान निवासी मौजमाबाद तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री महावीर सिंह सदस्य
श्री धूकलराम कसवां सदस्य

उपस्थित
श्री योगेन्द्र सिंह अभिभाषक अपीलार्थी
श्री श्याम बाबू अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय
दिनांक 01.01.2019

1. यह अपील राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के निर्णय दिनांक 1–2–2003 के विरूद्ध राजस्थान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर सांभलेक के न्यायालय में वादी ठाकुर जी श्री चतुरभुज जी जो इस अपील में प्रत्यर्थी संख्या एक हैं, की ओर से श्रवण लाल ने अपने आपको मन्दिर का पुजारी बताते हुये एक राजस्व वाद इस्तकरारहक, हुक्म इम्तनाई दवामी व दखलयाबी का अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 8लगायत 14 के विरूद्ध वाद पत्र में अंकित आराजी के बाबत प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से जबाब दावा प्रस्तुत होने पर दावा एवं जबाब दावा के आधार पर कुल सात तनकीयात कायम की और बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 15–6–98 से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर प्रत्यर्थी संख्या 1 मूर्ति मन्दिर की ओर से राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 1–2–03 से अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि राजस्व अपील प्राधिकारी ने तनकी नम्बर दो पर परीक्षण न्यायालय के निर्णय को न तो उचित ठहराया और न विधि विरूद्ध ही बताया बल्कि

परीक्षण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ लौटाया कि इस तनकी का निर्णय गहराई में जाकर पुनः करें। साथ ही उन्होने यह भी माना कि राजस्व मण्डल एवं उच्च न्यायालय के जिस निर्णय पर परीक्षण न्यायालय ने अपना निर्णय दिया है,वर्तमान मामलें में चस्पा नहीं होगा। यदि परीक्षण न्यायालय ने तनकी संख्या 2 पर गहराई से एवं कानून को ध्यान में रखते हुये निर्णय नहीं दिया तो राजस्व अपील प्राधिकारी को तनकी संख्या 2 पर स्वयं को ही अन्तिम निर्णय देना चाहिये था। जब राजस्व अपील प्राधिकारी वाद के निर्णय के लिये अन्य साक्ष्य की आवश्यकता नहीं समझते हैं और न साक्ष्य हेतु प्रकरण लौटाया तो ऐसी स्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी को महज तनकी संख्या 2 पर पुनः निर्णय किये जाने हेतु वाद लौटाने का अधिकार नहीं था। इसलिये राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय निरस्त किया जाकर अपील पर पुनः गुणावगुण पर निर्णय हेतु प्रकरण अपीलीय न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

5. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि विवादग्रस्त भूमि शुरू से ही मन्दिर माफी में दर्ज थी और मन्दिर के भोग के लिये आय हेतु मन्दिर को दी गई थी। मन्दिर की खातेदारी किसी अन्य व्यक्ति के नाम नहीं हो सकती है। वादग्रस्त भूमि जागीर पुर्नग्रहण के बाद राज्य सरकार की मिलकियत में आई हो,यह सिद्ध नहीं है। मूर्ति मन्दिर शाश्वत नाबालिग है,वह भूमि पर स्वयं काश्त नहीं कर सकता है। यदि राजस्व रेकार्ड में खुदकाश्त का अंकन नहीं भी हो तो भी भूमि पर काश्त मन्दिर की ही मानी जावेगी और किसी भी व्यक्ति द्वारा की जाने वाली काश्त मन्दिर के लिये की गई काश्त ही मानी जावेगी। अपीलार्थीगण को भूमि काश्त के लिये बताई गई थी और चूँकि अब वह कब्जा देने से मना करते हैं और बतौर अतिक्रमी काबिज हैं। अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण पुनः निर्णय पारित करने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। इसलिये अपील खारिज योग्य है।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय में तनकी नम्बर दो पर परीक्षण न्यायालय के निर्णय को न तो उचित ठहराया और न विधि विरूद्ध ही बताया बल्कि परीक्षण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ

लौटाया कि इस तनकी का निर्णय गहराई में जाकर पुनः करें। साथ ही उन्होने यह भी माना कि राजस्व मण्डल एवं उच्च न्यायालय के जिस निर्णय पर परीक्षण न्यायालय ने अपना निर्णय दिया है,वर्तमान मामलें में चस्पा नहीं होगा। जब राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष सारा रेकार्ड मौजूद था तो उनको प्रकरण को विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित न कर स्वयं अपने स्तर पर प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण करना चाहिये था। यदि परीक्षण न्यायालय ने तनकी संख्या 2 पर गहराई से एवं कानून को ध्यान में रखते हुये निर्णय नहीं दिया तो राजस्व अपील प्राधिकारी को तनकी संख्या 2 पर स्वयं को ही अन्तिम निर्णय देना चाहिये था। इसलिये राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा विचारण न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित करने का निर्णय विधिसम्मत नहीं है इसलिये उसका समर्थन नहीं किया जा सकता।

8. उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 1-2-03 निरस्त किया जाता हैं। प्रकरण प्रथम अपीलीय न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्षकारान को सुनकर अभिलेख का अवलोकन कर अपील के गुणावगुण पर अपने स्तर पर अन्तिम रूप से निर्णय पारित करें। उभय पक्षकारान को राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के न्यायालय में दिनांक .29.01.2019 को उपस्थित रहने के लिये पाबन्द किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवां)
सदस्य

(महावीर सिंह)
सदस्य